न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 47/2022
ऑनलाईन नम्बर 2022/70

निर्णय दिनांकः 28.01.2025

राजकुमार पुत्र जेठाराम जाति शर्मा निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. माली देवी पत्नी जेठाराम
2. स्वर्गीय रमेशकुमार पुत्र जेठाराम
2(1) सरिता देवी पत्नी रमेशकुमार
2(2) बनवारीलाल पुत्र रमेशकुमार
2(3) ममता पुत्री रमेशकुमार
3. श्रीभगवान पुत्र जेठाराम
4. विमला देवी पत्नी रामप्रताप

जाति शर्मा निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. गंगा देवी
6. बसंती
7. भगवती
8. देवदर्शन
9. मनोज

पुत्रिया/पुत्र रामप्रताप जाति शर्मा निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 से 2/3, 3 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9 की सयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 3.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 तादादी 9.4800 (गै.मु. रास्ता 0.2200) खसरा नम्बर 37 तादादी 1.9600 हैक्टेयर रोही ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9 का बहिस्सा बराबर 1/5, 1/30 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र जेठाराम जाति शर्मा निवासी शर्मा तहसील श्रीडूंगरगढ़ है तथा प्रार्थी का जन्म से ही राजकुमार नाम है तथा इसी नाम से प्रार्थी के राशन कार्ड में नाम अंकित है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान—पत्र, भारत

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, वोटरलिस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र जेठाराम अंकित है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान, मित्रगण सभी राजकुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 3.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 तादादी 9.4800 (गै.मु. रास्ता 0.2200) खसरा नम्बर 37 तादादी 1.9600 हैक्टेयर रोही ढुकरियासर जो कि पैतृक सम्पति है जिसका विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम राजकुमार की जगह राजूराम अंकित हो गया जो कि सही नही है प्रार्थी को वादगत खेत मे केसीसी कार्ड बनवाने हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि उपरोक्त खेत के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम राजूराम चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का राजूराम नाम कभी नही रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहबन व भूल से प्रार्थी का नाम राजूराम अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजकुमार है तथा वो ही नाम राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, वोटरलिस्ट, में चला आ रहा है । किन्तू सहबन से राजस्व रिकार्ड में राजूराम नाम अंकित हो गया है प्रार्थी साक्षर कृषि पैश व्यक्ति है तथा सदभाविक कृषक भी है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर केसीसी व ऋण लेने हेतू राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही उक्त नाम की जानकारी हुई है, इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र किये जा रहे है। वादगत खेत पैतृक खातेदारी खेत है प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9 के अलावा वादगत खेत का अन्य कोई खातेदार नही है राजस्व कर्मचारियो की गलती व भूल से प्रार्थी का नाम राजकुमार की जगह राजूराम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया है, ऐसे अंकन के आधार पर प्रार्थी के अधिकार खत्म नही हुए है वरन आज की कायम है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड मे अपना सही नाम अंकित करवा कर दुरूस्ती करवाने अधिकारी है, जिसके लिए यह दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 10 से निवेदन किया कि मेरा नाम राजकुमार है तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से इन्कार कर दिया मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से राजूराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम राजकुमार अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 10 ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी संख्या 10 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9 वादगत खेत के सहखातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण को [illegible] पक्षकार बनाये गये है जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया। वादगत भुमि ग्राम ढुकरियासर

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:16 IST
Reason: SelfAttested

तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 3.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 तादादी 9.4800 (गै. मु. रास्ता 0.2200) खसरा नम्बर 37 तादादी 1.9600 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम राजूराम अंकित हुआ है उसकी जगह राजकुमार पुत्र जेठाराम जाति शर्मा निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2/1 से 2/3 3 ता 9 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहनें के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 114 तादादी 3.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 276 तादादी 9.4800 (गै. मु. रास्ता 0.2200) खसरा नम्बर 37 तादादी 1.9600 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजूराम अंकित हुआ है उसके स्थान पर शुद्ध नाम राजकुमार अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत् रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:16 IST
Reason: SelfAttested